अन्तिम विनियम

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

ऊर्जा भवन, 'ए' ब्लाक, शिवाजी नगर, भोपाल–462016

भोपाल, दिनांक 25 फरवरी 2006

क्रमांक. 579/म.प्र.वि.नि.आ./06. विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 45 सहपठित धारा 181 (1) एवं 181 (2) (के), (पी) तथा (यू) द्वारा इस संबंध में समस्त प्रदत्त शक्तियों के सामर्थ्य में, निम्न मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत प्रदाय के लिये वसूली योग्य प्रभारों, विविध प्रभारों को सम्मिलित कर, के निर्धारण की विधियां एवं सिद्धांत) विनियम, 2006 बनाता है :

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक (आयोग वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत प्रदाय के लिये वसूली योग्य प्रभारों, विविध प्रभारों को सम्मिलित कर, के निर्धारण की विधियां एवं सिद्धान्त) विनियम, 2006 (आरजी – 22, वर्ष 2006)

1. <u>संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार एवं प्रारंभ :</u>

1.1 ये विनियम मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत प्रदाय के लिये वसूली योग्य प्रभारों, विविध प्रभारों को सम्मिलित कर, के निर्धारण की विधियां एवं सिद्धांत) विनियम, 2006 (आरजी – 22, वर्ष 2006) कहे जावेंगे ।

1.2 ये विनियम मध्यप्रदेश राज्य में प्रचालन कर रहे समस्त वितरण अनुज्ञप्तिधारियों तथा जिनमें समझे गये अनुज्ञप्तिधारी भी सम्मिलित होंगे और वे सभी उपभोक्ता जो विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 43 (2) के उपबन्ध 1 के अन्तर्गत विद्युत प्राप्त कर रहे हों, पर लागू होंगे ।

1.3 ये विनियम मध्यप्रदेश शासन के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन तिथि से प्रभावशील होंगे ।

2. <u>परिभाषाएं :</u>

1.4 जब तक संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो इन विनियमों में :

(ए) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003);

(बी) ''आयोग'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग;

(सी) ''वितरण अनुज्ञप्तिधारी'' से अभिप्रेत है एक अनुज्ञप्तिधारी जो अपने प्रदाय क्षेत्र में विद्युत प्रदाय के प्रचालन तथा संधारण हेतु प्राधिकृत है;

(डी) ''अतिरिक्त उच्च दाब (एक्सट्रा हाई टेंशन – ईएचटी) उपभोक्ता'' से अभिप्रेत है एक उपभोक्ता जिसे 33000 वोल्ट से अधिक वोल्टेज पर विद्युत प्रदाय की जा रही है;

(ई) ''उच्च दाब (हाई टैंशन – एचटी) उपभोक्ता'' से अभिप्रेत है एक उपभोक्ता जिसे 440 वोल्ट से अधिक परन्तु 33000 वोल्ट से अनाधिक वोल्टेज पर विद्युत प्रदाय की जा रही है;

(एफ) ''निम्न दाब (लो टेंशन – एलटी) उपभोक्ता'' से अभिप्रेत है एक उपभोक्ता जिसे 440 वोल्ट तक विद्युत प्रदाय की जा रही है;

(जी) ''म.प्र. अधिनियम'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 2000 (क्रमांक 4, वर्ष 2001);

(एच) ''प्राधिकृत भार'' से अभिप्रेत है किसी उपयोगिता (यूटिलिटी) द्वारा किसी उपभोक्ता को उपभोक्ता के परिसर में किसी विद्युत संयोजन के प्रयोजन से विधिवत् स्वीकृत भार । इसे किलोवॉट, केवीए अथवा अश्वशक्ति की इकाइयें में अभिव्यक्त किया जावेगा तथा इसे इस विनियम में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अवधारित किया जावेगा;

(आई) प्रयोग किये शब्द तथा अभिव्यक्तियां जिन्हें इन विनियमों में परिभाषित नहीं किया गया है परन्तु अधिनियम में परिभाषित है वही अर्थ रखेंगे जैसा कि इन्हें अधिनियम में नियत किया गया है ।

3. <u>प्रभारों के निर्धारण बाबत सामान्य सिद्धान्त :</u>

1.5 आयोग यह सुनिश्चित किये जाने का प्रयास करेगा कि विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों से वसूली योग्य प्रभार वास्तविक रूप से उपभोक्ता द्वारा उपभोग की गई विद्युत तथा इसके साथ–साथ यथासंभव प्रत्येक उपभोक्ता श्रेणी हेतु प्रदत्त सेवाएं तथा विद्युत प्रदाय उसके वितरण (चक्रण) एवं उपभोक्ता श्रेणी की देखभाल संबंधी सेवाएं एवं प्रदाय वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वहन की गई दक्ष लागत दर्शाती हैं । अतिरिक्त उच्च दाब, उच्च दाब एवं निम्न दाब उपभोक्ताओं के संबंध में वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उसके अधिकार क्षेत्र में उसके द्वारा वहन की गई प्रणाली हानि की मात्रा पर वितरण प्रक्रिया में लागत की परिगणना के समय विचार किया जावेगा ।

1.6 उपभोक्ताओं से विद्युत प्रदाय हेतु वसुली योग्य प्रभारों में निम्न में से समस्त अथवा इनमें से कोई भी सम्मिलित होंगे :

(i) **स्थाई प्रभार** : वास्तविक विद्युत प्रदाय पर किये जा रहे व्यय पर वसूली किये जाने के अतिरिक्त अनुज्ञप्तिधारी एक स्थाई नेटवर्क प्रभार हेतु वसूली कर सकेगा जो कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उप–पारेषण के नेटवर्क के संधारण हेतु वहन किया जावेगा । मांग आधारित टैरिफ युक्त उच्चदाब तथा निम्नदाब उपभोक्ताओं हेतु स्थाई प्रभार उनकी पूर्ण संविदा मांग से संबद्ध रहेंगे । निम्नदाब उपभोक्ताओं हेतु, स्थाई प्रभार उन्हें प्राधिकृत भार घरेलू एवं गैर–घरेलू संयोजनों हेतु अथवा अन्य प्रकरणों में स्वीकृत भार से संबद्ध रहेंगे । अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्थाई प्रभारों से अर्जित राजस्व की गणना अनुज्ञप्तिधारी के कुल प्रत्याशित राजस्व हेतु की जावेगी तथा इसे टैरिफ अवधारण के समय सार्वजनिक रूप से प्रकट किया जावेगा ।

(ii) **ऊर्जा प्रभार** : ये प्रभार उपभोक्ता को प्रदाय की जा रही विद्युत पर किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु वसूली योग्य होंगे । वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा क्रय किये जा रहे समस्त

यूनिटों के साथ–साथ वे यूनिट जो पारेषण/उप पारेषण, हानि क्षतिपूर्ति हेतु आवश्यक हैं, वसूली योग्य होंगे ।

(iii) उपभोक्ता द्वारा अनुरोध किये जाने पर वितरण अनुज्ञप्तिधारी विद्युत वितरण के विभिन्न चरणों में उसे प्रदत्त मोटर अथवा विद्युत संयत्र का किराया अथवा अन्य प्रभारों की वसूली हेतु अधिकृत होगा ।

(iv) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 46 तथा 47 के अन्तर्गत प्राधिकृत किये गये वसूली योग्य विविध प्रभार एवं प्रतिभूति अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वसूल किये जा सकेंगे । इनमें से कुछ सेवाएं जिन हेतु अनुज्ञप्तिधारी कोई प्रभार अधिरोपित कर सकेगा, उदाहरण के तौर पर निम्नानुसार दर्शाई गई हैं :

(ए) उपभोक्ता परिसर में उपभोक्ता के अनुरोध पर मापयंत्र (मीटर) का परीक्षण शुल्क : प्रयोगशाला में परीक्षण हेतु पृथक प्रभार देय होंगे । मापयंत्रण (मीटरिंग) पर अन्य शर्तें विद्युत प्रदाय संहिता के अनुसार होंगी ।

(बी) नवीन सेवा संयोजन अथवा भार में अभिवृद्धि : विद्युत विच्छेद/पुर्नसंयोजन हेतु पृथक से प्रभार देय होंगे । (व्याख्या : जब 10 किलोवॉट से अधिक भार हेतु नवीन संयोजन अथवा उन्नयन चाहा जावे तो अनुज्ञप्तिधारी ट्रांसफार्मर की आनुपातिक लागत वसूल कर सकेगा यदि वांछित भार 10 किलोवॉट से अधिक हो तथा अतिरिक्त रूप से उपकेन्द्र की आनुपातिक लागत की वसूली कर सकेगा यदि आदिष्ट भार 200 किलोवॉट से अधिक हो ।)

(सी) जले हुए अथवा क्षतिग्रस्त मीटरों की लागत की वसूली यदि इनका दायित्व उपभोक्ताओं पर निर्धारित किया जा सकता हो : यदि उपभोक्ता अनुज्ञप्तिधारी के निर्णय से सहमत न हो तो ऐसी दशा में प्रकरण को आयोग के मीटरिंग परामर्शी को निर्दिष्ट किया जा सकेगा ।

(डी) उपभोक्ता के अनुरोध पर संयोजन का स्थानांतरण (मापयंत्र के स्थानांतरण को सम्मिलित कर) एक परिसर से अन्य परिसर में अथवा उसी परिसर में किसी अन्य स्थान पर किया जाना

(ई) गहन पूंजी अथवा गहन श्रम प्रकृति की विशिष्ट सेवाओं के पर्यवेक्षण प्रभार

(एफ) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा संयंत्रों एवं उपकरणों को किराये पर प्रदान किया जाना

(जी) पुरानी बकाया राशि/अभिलेखों के सत्यापन हेतु शुल्क अथवा देयकों या अभिलेखों की द्वितीय प्रति की प्राप्ति हेतु शुल्क

(एच) उपभोक्ताओं के अनुरोध पर विशेष मापयंत्र वाचन किये जाने संबंधी शुल्क

(आई) उपभोक्ता के अनुरोध पर सार्वजनिक पथ–प्रकाश अथवा अन्य उपकरण का अनुरक्षण किया जाना

(जे) फ्यूज, कांच (ग्लास), मापयंत्र सील अथवा मापयंत्र कार्ड को बदला जाना

(के) अनुज्ञप्तिधारियों के मापयंत्रों, उच्चतम मांग (एमडी) सूचकों तथा यंत्रों को पुनः सील किया जाना यदि इनकी सील टूटी हुई पाई जावे

(एल) उपभोक्ता के अनुरोध पर अधिष्ठापनों का पुर्नदर निर्धारण किया जाना

(एम) उपभोक्ता के अनुरोध पर अधिष्ठापनों का परीक्षण किया जाना

(एन) उपभोक्ता द्वारा अनुरोध किये जाने पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किसी अन्य सेवा का प्रदाय किया जाना

1.7 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तावित किये जाने पर तथा यथोचित सूक्ष्म परीक्षण एवं परामर्श के उपरांत ही आयोग विविध प्रभारों हेतु स्वीकृति प्रदान करेगा तथा इस हेतु वह उसके अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वहन किये जाने वाले व्यय पर तथा उसके युक्तियुक्त होने पर विचार करेगा तथा इनकी वसूली आयोग के अनुमोदन पश्चात ही की जावेगी ।

4.1 घरेलू तथा गैर घरेलू उपभोक्ताओं हेतु प्राधिकृत भार :

1.8 किसी बिलिंग माह में 75 यूनिटों अथवा उसके किसी अंश के उपभोग को 0.5 किलोवॉट के प्राधिकृत भार के बराबर जो कि 20 प्रतिशत भार कारक (लोड फेक्टर) पर आधारित होगा, समझा जावेगा । प्रत्येक अतिरिक्त 75 यूनिटों अथवा उसके अंश के किसी अतिरिक्त उपभोग को 0.5 किलोवॉट के प्राधिकृत भार के बराबर समझा जावेगा ।

4.2 अन्य निम्न दाब उपभोक्ताओं हेतु प्राधिकृत भार

अन्य निम्न दाब उपभोक्ताओं हेतु प्राधिकृत भार स्वीकृत/संयोजित भार होगा ।

5. सामान्य :

1.9 जानकारी का अर्धवार्षिकी प्रकाशन :

अनुज्ञप्तिधारी को स्थाई प्रभारों, ऊर्जा प्रभारों, मापयंत्रण प्रभारों, बिलिंग एंव वसूली/पुर्नप्राप्ति प्रभारों, विविध प्रभारों, अन्य प्रभारों तथा संभागीय स्तर की प्रत्येक प्रशासनिक इकाई हेतु देय बकाया राशि तथा राजस्व (मांग की गई राशि) का लेखा तथा टैरिफ के प्रत्येक अवयव (उपश्रेणीवार सम्मिलित करते हुए जबकि इसे दर्शाया गया हो) तथा कंपनी स्तर पर संकलित आंकड़े सार्वजनिक जानकारी हेतु प्रकाशित किये जावेंगे तथा ये आयोग को अर्द्धवार्षिक अन्त सितम्बर तथा मार्च हेतु क्रमशः माह जनवरी एवं जुलाई में प्रस्तुत किये जावेंगे । यह जानकारी अनुज्ञप्तिधारी की वैबसाईट पर भी उपलब्ध कराई जावेगी । वितरण अनुज्ञप्तिधारी को अर्द्धवार्षिकी लेखे के विवरण की संक्षेपिका प्रकाशित करना होगी ।

1.10 टैरिफ श्रेणियां तथा उपभोक्ताओं को टैरिफ दरों की संसूचना :

आयोग, धारा 62 के अन्तर्गत विद्युत के खुदरा विक्रय हेतु टैरिफ अवधारण करते समय वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों से वसूली योग्य प्रभारों को विनिर्दिष्ट करेगा । आयोग, मौसमी (सीजनल) अधिभार/नियतकालिक उपयोग (टाईम ऑफ यूज) अधिभार, ऊर्जा कारक (पॉवर फेक्टर)/भार कारक अधिभार, प्रतिक्रियात्मक ऊर्जा प्रभारों आदि को विनिर्दिष्ट कर सकेगा । आयोग अनुज्ञप्तिधारी को, प्रत्येक टैरिफ अवधारण पश्चात, आयोग द्वारा अनुमोदित विभिन्न प्रभारों के विवरण दर्शाते हुए टैरिफ कार्ड प्रत्येक उपभोक्ता को प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित कर सकेगा ।

1.11 मांग आधारित टैरिफ दर :

मांग आधारित टैरिफ दरें विनिर्दिष्ट संयोजित भारयुक्त उपभोक्ताओं को लागू की जा सकेंगी, जैसा कि आयोग उसके टैरिफ आदेश में अवधारित करेगा । तथापि वे उपभोक्ता जिनके संयोजित भार 25 ब्रेक अश्वशक्ति (18 किलोवॉट/23 केवीए) अथवा इससे अधिक होंगे, अनुज्ञप्तिधारी को ऐसे मापयंत्र रखे जाना आवश्यक होंगे जो कि केवीए आधारित मांग के अभिलेखन हेतु सक्षम होंगे तथा आयोग इस प्रयोजन हेतु टैरिफ का अवधारण कर सकेगा ।

1.12 ऊर्जा कारक (पावर फेक्टर), भार कारक (लोड फेक्टर), मांग पक्ष प्रबंधन तथा विद्युत प्रदाय की गुणवत्ता :

आयोग, उन उपभोक्ताओं को छूट (रिबेट) प्रदान कर सकेगा जो उपयुक्त ऊर्जा कारक (पावर फेक्टर) संधारित करेंगे, उच्चतर भार कारक का निष्पादन करेंगे अथवा ऊर्जा संरक्षण उपायों को कार्यान्वित करेंगे । आयोग अपनी टैरिफ संरचना में अनुज्ञप्तिधारी को प्रोत्साहन का प्रावधान अथवा आयोग द्वारा अनुमोदित अनुपालन मानदण्ड संबंधी विनियम में किसी प्रकार का विचलन किये जाने पर अर्थदण्ड का प्रावधान कर सकेगा ।

1.13 न्यूनतम प्रभार :

यह सुनिश्चित किये जाने हेतु कि अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत प्रदाय एवं पारेषण सुनिश्चित किये जाने हेतु उसके द्वारा देय वचनबद्धता प्रभारों बाबत पर्याप्त रूप से क्षतिपूर्ति की प्राप्ति हो सके, आयोग विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों से वसूली योग्य न्यूनतम प्रभारों का प्रावधान कर सकेगा ।

6. कठिनाई दूर करने की शक्ति :

1.14 इन विनियमों के उपबन्धों को दूर करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होने पर आयोग किसी सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को ऐसे कृत्य करने या दायित्व स्वीकार करने हेतु निर्देशित कर सकेगा जो आयोग के विचार में कठिनाईयां दूर करने में आवश्यक अथवा वांछनीय हैं ।

7. संशोधन तथा समीक्षा के अधिकार

1.15 आयोग किसी भी समय पूर्व प्रचार–प्रसार द्वारा इन विनियमों के किसी भी प्रावधान तथा विविध प्रभारों में परिवर्धन, परिवर्तन, सुधार या संशोधन कर सकेगा तथा प्रारंभिक अधिसूचना द्वारा इनकी समीक्षा तथा इन्हें पुर्न–अधिसूचित कर सकेगा ।

8. निरसन :

1.16 विनियमन मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (प्रभार निर्धारण की पद्धति एवं सिद्धान्त तथा विद्युत आपूर्ति हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वसूली योग्य विविध प्रभारों की अनुसूची) विनियम, 2005 जिसे मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 28 मार्च 2005 को क्रमांक 751/मप्रविनिआ/2005 द्वारा अधिसूचित किया गया है, सहपठित समस्त संशोधनों के, जो विनियम की विषय वस्तुत से प्रयोज्य हैं को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है ।

1.17 इन विनियमों में कुछ भी आयोग की अर्न्तनिहित शक्तियों को ऐसे आदेश जो न्यायहित में या आयोग की प्रक्रियाओं में दोष रोकने के लिये जारी करना आवश्यक है सीमित या अन्यथा प्रभावित नहीं करेगा ।

1.18 इन विनियमों में कुछ भी आयोग को इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप किसी विषय या विषयों के वर्ग की विशिष्ट परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, लिखित कारणों सहित यदि आयोग आवश्यक व उचित समझे तो ऐसी प्रक्रिया अपनाने में नहीं रोकेगा जो इन विनियमों के प्रावधानों से अन्यथा हो ।

1.19 इन विनियमों में विशिष्ट या अन्तर्गत कुछ भी आयोग को किसी अधिकार के उपयोग से नहीं रोकेगा जिसके लिये कोई विनियम नहीं बनाया गया हो तथा आयोग ऐसे विषयों, अधिकारों तथा कार्यों को उस प्रकार से, जैसे वह उचित समझे, निवर्तित कर सकेगा ।

टीप : इन 'वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत प्रदाय के लिये वसूली योग्य विद्युत प्रभारों का निर्धारण, विविध प्रभारों को सम्मिलित कर, की विधियां एवं सिद्धान्त विनियम, 2006'' के हिन्दी रूपांतरण की व्याख्या या विवेचन या समझने की स्थिति में किसी प्रकार का विरोधाभास होने पर इसके अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) के संबंधित प्रावधानों में दी गई विवेचना के अनुसार ही उसका तात्पर्य माना जावेगा एवं इस संबंध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बाध्य होगा ।

आयोग के आदेशानुसार

(अशोक शर्मा), उप सचिव